

Dated: 23rd March, 2005
2 Chaitra 1926 (Saka)

[Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Goa on the basis of 2001 Census]

ORDER NO. 5

Whereas, in pursuance of sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 2 dated 8th November, 2004, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Goa State Gazette on 8th November, 2004, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Goa as two (2) of which, no seat shall be reserved for the Scheduled Castes and also no seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as forty (40) of which, one(1) seat shall be reserved for the Scheduled Castes and no seat for the Scheduled Tribes; and

Whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 5, read with sub section (1) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the State with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State; and

Whereas, in pursuance of sub-section (2) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals, of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State, in the extraordinary issue of the Gazette of India and in the Goa State Gazette on 8th November, 2004, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 22nd November, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission's Order No.2 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 9th November, 2004 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section(2) of section(9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 8th November, 2004 specifying the places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions which may be received by it on or before the 22nd November, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Margao, on 14th December, 2004 and at Panaji on the 15th December, 2004, and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

Whereas, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of sub-section 2 of section 9 read with sub-section (2) of section 4 of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows: -

- (1) The territorial assembly constituencies into which the State of Goa shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the State and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table A**.
- (2) The territorial parliamentary constituencies into which the State of Goa shall be divided for the purpose of elections to the House of the People and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table B**.
- (3) Where the name of a constituency as shown in **Table A** is distinguished by the brackets and letters “**(SC)**” the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

TABLE – A

ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No.	Name of Assembly Constituency	Extent of the Constituency
1-DISTRICT NORTH GOA		
1	Mandrem	Sazas: 1. Querim, 2. Paliem, 3. Arambol, 4. Tuem, 5. Parcem (CT), 6. Mandrem, 7. Morgim and 8. Chopdem in Pernem Taluka.
2	Pernem (SC)	Sazas: 1. Pernem, 2. Poroscodem, 3. Varconda, 4. Torxem, 5. Cansarvornem, 6. Alorna, 7. Ibrampur, 8. Dargalim, 9. Corgao, 10. Ozorim and 11. Pernem (MCL) in Pernem Taluka.
3	Bicholim	Sazas: 1. Mencurem, 2. Salem, 3. Latambarcem, 4. Adwalpale and 5. Bicholim (MCL) in Bicholim Taluka; Mulgao Village of Sirigao Saza in Bicholim Taluka.
4	Tivim	Sazas: 1. Revora, 2. Pirna, 3. Assonora, 4. Sircaim, 5. Tivim, 6. Colvale (CT) and 7. Camurlim in Bardez Taluka.
5	Mapusa	Mapusa (MCL) : - Ward Nos.1 to 3 and 5 to 13 in Bardez Taluka.
6	Siolim	Sazas : 1. Oxel, 2. Verla, 3. Marna, 4. Assagao, 5. Anjuna and 6. Siolim (CT) in Bardez Taluka
7	Saligao	Sazas: 1. Nerul, 2. Pilerne , 3. Reis Magos , 4. Saligao, 5. Sangolda and 6. Guirim (CT) in Bardez Taluka
8	Calangute	Sazas: 1. Arpora, 2. Parra, 3. Calangute and 4. Candolim in Bardez Taluka.
9	Porvorim	Sazas: 1. Salvador do Mundo, 2. Socorro and 3. Penha-de-Franca (CT) in Bardez Taluka.
10	Aldona	Sazas: 1. Aldona (CT) 2. Pomburpa, 3. Moira, 4. Ucassaim, 5. Bastora and 6. Ward No. 4 of Mapusa (MCL) in Bardez Taluka
11	Panaji	Municipal Corporation of City of Panaji: - Ward Nos.8 to 11 and 13 to 18 of Panaji Saza in Tiswadi Taluka; and Panelim (OG)- of Ella Saza in Tiswadi Taluka
12	Taleigao	Municipal Corporation of City of Panaji: - Ward Nos.1 to 7 and Ward No.12 of Sazas Panaji and Taleigao in Tiswadi Taluka.

- 13 **St. Cruz** 1. Morambi-O-Grande (Merces) (OG), 2. Renovadi (OG), 3. Morambi-O-Pequeno(Merces) (OG), and 4. Murda (OG), **of Morambi-O-Pequeno (Merces) Saza in Tiswadi Taluka;**

Chimbel Saza **and**, 1. Calapur (CT) and, 2. Cujira (OG) **of Calapor Saza in Tiswadi Taluka.**
- 14 **St. Andre** **Sazas:**1. Curca, 2. Mandur, 3. Batim, 4. Siridao, 5. Neura-O-Grande, 6. Mercurim and 7. Goa Velha **in Tiswadi Taluka.**
- 15 **Cumbarjua** **Sazas:**1. Jua, 2. Malar, 3. Goltim, 4. Cumbarjua and 5. Corlim **in Tiswadi Taluka;**

1. Ella village , 2. Bainguinim village of Ella Saza and 3. Carambolim Saza **in Tiswadi Taluka;**
- 16 **Maem** **Sazas:**1. Maulinguem North, 2. Carapur, 3. Naroa 4. Piligao and 5. Maem **in Bicholim Taluka;**

1. Sirigao village of Sirigao Saza **in Bicholim Taluka;** **and**
Chorao Saza **in Tiswadi Taluka**
- 17 **Sanquelim** **Sazas:**1. Cudnem, 2. **Amona**, 3. Navelim, 4. Pale, 5. Surla, 6. Velguem and 7. Sanquelim **in Bicholim Taluka**
- 18 **Poriem** **Sazas:**1. Querim, 2. Dongurli, 3. Poriem, 4. Morlem, 5. Onda, 6. Mauxi, 7. Pissurlem and 8. Birondem **in Satari Taluka.**
- 19 **Valpoi** **Sazas:**1. Nagargao, 2. Sanvordem, 3. Cotorem, 4. Guleli and 5. Valpoi (MCL) **in Satari Taluka; and**

Usgao Saza **in Ponda Taluka.**
- 20 **Priol** **Sazas:**1. Candola, 2. Orgao, 3. Savoi-Verem, 4. Boma, 5. Priol and 6. Querim **in Ponda Taluka.**
- 21 **Ponda** 1. Candepar Saza and 2. Ponda (MCL) **in Ponda Taluka.**
- 22 **Siroda** **Sazas:**1. Betora, 2. Borim, 3. Siroda and 4. Ponchawadi **in Ponda Taluka.**
- 23 **Marcaim** **Sazas:**1. Cundaim, 2. Telaulim, 3. Marcaim, 4. Durbhat, 5. Bandora and 6. Queula **in Ponda Taluka.**
- 2-DISTRICT SOUTH GOA**
- 24 **Mormugao** **Mormugao (MCL):** Ward Nos.1 to 8 **of Mormugao Saza in Mormugao Taluka.**
- 25 **Vasco-Da-Gama** **Mormugao (MCL):** Ward Nos.9 to 17 **of Mormugao Saza in Mormugao Taluka.**

- 26 **Dabolim** **Saza Chicalim in Mormugao Taluka;**

Mormugao (MCL): Ward Nos.18 to 20 of **Mormugao Saza in Mormugao Taluka;**
- 27 **Cortalim** **Sazas:**1. Cortalim, 2. Cansaulim, 3. Velsao and 4. Sancoale **in Mormugao Taluka.**
- 28 **Nuven** **Sazas:**1. Verna, 2. Loutulim, 3. Nuven, 4. Majorda and 5. Betalbatim **in Salcete Taluka.**
- 29 **Curtorim** **Sazas:**1. Camurlim, 2. Raia and 3. Curtorim **in Salcete Taluka; and**
Ward No.3 of **Margao (MCL) in Margao Saza in Salcete Taluka;**
- 30 **Fatorda** **Margao (MCL):** Ward Nos.1, 2, 11, 12, 15 and 16 of **Margao Saza in Salcete Taluka.**
- 31 **Margao** **Margao (MCL):** Ward Nos.4 to 10, 13 and 14 of **Margao Saza in Salcete Taluka.**
- 32 **Benaulim** **Sazas:**1. Colva, 2. Seraulim, 3. Benaulim, 4. Varca, 5. Carmona and 6. Cavelossim **in Salcete Taluka.**
- 33 **Navelim** **Sazas:** 1. Navelim , 2. Talaulim and 3. Aquem (CT), **in Salcete Taluka;**

Davorlim (CT) of **Davorlim Saza in Salcete Taluka;**
- 34 **Cuncoim** **Sazas:**1. Macasana, 2. Guirdolim, 3. Chandor, 4. Paroda and 5. Cuncoim(MCL) **in Salcete Taluka; and**
1. Ambaulim and 2. Bali **villages of Ambaulim Saza in Quepem Taluka.**
- 35 **Velim** **Sazas:**1. Sarzora, 2. Assolna, 3. Velim, 4. Chinchinim, 5. Sao Jose de Areal and 6. Dramapur **in Salcete Taluka; and**
Dicarpale village **in Davorlim Saza in Salcete Taluka;**
- 36 **Quepem** **Sazas:** 1. Fatorpa, 2. Barcem, 3. Quepem (MCL), 4. **Naquerim** and 5. Avedem **of Quepem Taluka;**
Villages: 1. Cordem, 2. Adnem, 3. Bendordem and 4. Tiloi **in Ambaulim Saza of Quepem Taluka; and**

Cola **Saza in Canacona Taluka.**
- 37 **Curchozem** **Sazas:**1. Assolda, 2. Amona, 3. Xeldem and 4. Curchozem-Cacora(MCL) **in Quepem Taluka.**
- 38 **Sanvordem** **Sazas:**1. Darbandora, 2. Sancordem, 3. Molem, 4. Cozem, 5. Codli, 6. Sanvordem, and 7. Calem **in Sanguem Taluka.**

- 39 Sanguem Sazas:**1. Uguem, 2. Bati, 3. Rivona, 4. Curdi, 5. Netorli and Sanguem (MCL) **in Sanguem Taluka; and**
- Sazas :** 1.Molcarnem and 2. Cavorem **in Quepem Taluka.**
- 40 Canacona Sazas:** 1. Gaodongrem, 2. Cotigao, 3. Agonda, 4. Canacona, 5. Poinguinim, 6. Loliem and 7. Canacona (MCL) **in Canacona Taluka.**

TABLE – B

PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Extent in terms of Assembly Constituencies
1 North Goa	1-Mandrem; 2-Pernem (SC); 3-Bicholim; 4-Tivim; 5-Mapusa; 6-Siolim; 7-Saligao; 8-Calangute; 9-Porvorim; 10-Aldona; 11-Panaji; 12-Taleigao; 13-St. Cruz; 14-St. Andre; 15-Cumbarjua; 16-Maem; 17-Sanquelim; 18-Poriem; 19-Valpoi and 20-Priol.
2 South Goa	21-Ponda; 22-Siroda; 23-Marcaim 24-Mormugao; 25-Vasco-Da-Gama; 26-Dabolim 27-Cortalim; 28-Nuven; 29-Curtorim; 30-Fatorda; 31-Margao; 32-Benaulim; 33-Navelim; 34-Cuncolim; 35-Velim; 36-Quepem; 37-Curchorem; 38-Sanvordem; 39-Sanguem and 40-Canacona.

NOTE :- Any reference in **Table A** to a district, taluka, saza, village, Census Town(CT), Municipal Council(MCL), Out Growth(OG), ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that district, taluka, saza, village, Census Town(CT), Municipal Council(MCL), Out Growth(OG),and ward or other territorial division as on the 23rd day of March, 2005

KULDIP SINGH, CHAIRMAN

B.B. TANDON, MEMBER

P. M. BORKAR, MEMBER

TO BE PUBLISHED IN EXTRAORDINARY
ISSUE OF THE GAZETTE OF INDIA PART
II SECTION 3(iii) DATED 31st March , 2005

TO BE PUBLISHED IN SPECIAL GAZETTE
OF THE GOVERNMENT OF GOA DATED
31st March , 2005

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

SHANGARA RAM
SECRETARY

Tel.: 011-23052005
Fax 011-230052006

No. 282/GOA/2004

Dated: 31st March , 2005
10 Chaitra, 1926(Saka)

NOTIFICATION

In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under sub-section (2) of section 9 read with sub-section (2) of section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Goa is hereby published :-

ORDER NO. 5

Whereas, in pursuance of sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 2 dated 8th November, 2004, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Goa State Gazette on 8th November, 2004, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Goa as two (2) of which, no seat shall be reserved for the Scheduled Castes and also no seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as forty (40) of which, one(1) seat shall be reserved for the Scheduled Castes and no seat for the Scheduled Tribes; and

Whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 5, read with sub section (1) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the State with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State; and

Whereas, in pursuance of sub-section (2) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State, in the extraordinary issue of the Gazette of India and in the Goa State Gazette on 8th November, 2004, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 22nd November, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission's Order No.2 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 9th November, 2004 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section(2) of section(9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 8th November, 2004 specifying the places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions which may be received by it on or before the 22nd November, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Margao, on 14th December, 2004 and at Panaji on the 15th December, 2004, and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

Whereas, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of sub-section 2 of section 9 read with sub-section (2) of section 4 of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows: -

1. The territorial assembly constituencies into which the State of Goa shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the State and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table A**.
2. The territorial parliamentary constituencies into which the State of Goa shall be divided for the purpose of elections to the House of the People and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table B**.
3. Where the name of a constituency as shown in **Table A** is distinguished by the brackets and letters “**(SC)**” the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

TABLE – A

ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No.	Name of Assembly Constituency	Extent of the Constituency
1-DISTRICT NORTH GOA		
1	Mandrem	Sazas: 1. Querim, 2. Paliem, 3. Arambol, 4. Tuem, 5. Parcem (CT), 6. Mandrem, 7. Morgim and 8. Chopdem in Pernem Taluka.
2	Pernem (SC)	Sazas: 1. Pernem, 2. Poroscodem, 3. Varconda, 4. Torxem, 5. Cansarvornem, 6. Alorna, 7. Ibrampur, 8. Dargalim, 9. Corgao, 10. Ozorim and 11. Pernem (MCL) in Pernem Taluka.
3	Bicholim	Sazas: 1. Mencurem, 2. Salem, 3. Latambarcem, 4. Adwalpale and 5. Bicholim (MCL) in Bicholim Taluka; Mulgao Village of Sirigao Saza in Bicholim Taluka.

4	Tivim	Sazas: 1. Revora, 2. Pirna, 3. Assonora, 4. Sircaim, 5. Tivim, 6. Colvale (CT) and 7. Camurlim in Bardez Taluka.
5	Mapusa	Mapusa (MCL) : - Ward Nos.1 to 3 and 5 to 13 in Bardez Taluka.
6	Siolim	Sazas : 1. Oxel, 2. Verla, 3. Marna, 4. Assagao, 5. Anjuna and 6. Siolim (CT) in Bardez Taluka
7	Saligao	Sazas: 1. Nerul, 2. Pilerne , 3. Reis Magos , 4. Saligao, 5. Sangolda and 6. Guirim (CT) in Bardez Taluka
8	Calangute	Sazas: 1. Arpora, 2. Parra, 3. Calangute and 4. Candolim in Bardez Taluka.
9	Porvorim	Sazas: 1. Salvador do Mundo, 2. Socorro and 3. Penha-de-Franca (CT) in Bardez Taluka.
10	Aldona	Sazas: 1. Aldona (CT) 2. Pomburpa, 3. Moira, 4. Ucassaim, 5. Bastora and 6. Ward No. 4 of Mapusa (MCL) in Bardez Taluka
11	Panaji	Municipal Corporation of City of Panaji: - Ward Nos.8 to 11 and 13 to 18 of Panaji Saza in Tiswadi Taluka; and Panelim (OG)- of Ella Saza in Tiswadi Taluka
12	Taleigao	Municipal Corporation of City of Panaji:- Ward Nos.1 to 7 and Ward No.12 of Sazas Panaji and Taleigao in Tiswadi Taluka.
13	St. Cruz	1. Morambi-O-Grande (Merces) (OG), 2. Renovadi (OG), 3. Morambi-O-Pequeno(Merces) (OG, and 4. Murda (OG), of Morambi-O-Pequeno (Merces) Saza in Tiswadi Taluka; Chimbel Saza and , 1. Calapur (CT) and, 2. Cujira (OG) of Calapor Saza in Tiswadi Taluka.
14	St. Andre	Sazas: 1. Curca, 2. Mandur, 3. Batim, 4. Siridao, 5. Neura-O-Grande, 6. Mercurim and 7. Goa Velha in Tiswadi Taluka.
15	Cumbarjua	Sazas: 1. Jua, 2. Malar, 3. Goltim, 4. Cumbarjua and 5. Corlim in Tiswadi Taluka; 1. Ella village , 2. Bainguinim village of Ella Saza and 3. Carambolim Saza in Tiswadi Taluka;
16	Maem	Sazas: 1. Maulinguem North, 2. Carapur, 3. Naroa 4. Piligao and 5. Maem in Bicholim Taluka; 1. Sirigao village of Sirigao Saza in Bicholim Taluka; and Chorao Saza in Tiswadi Taluka
17	Sanquelim	Sazas: 1. Cudnem, 2. Amona , 3. Navelim, 4. Pale, 5. Surla, 6. Velguem and 7. Sanquelim in Bicholim Taluka

- 18 **Poriem** **Sazas:**1. Querim, 2. Dongurli, 3. Poriem, 4. Morlem, 5. Onda, 6. Mauxi, 7. Pissurlem and 8. Bironдем **in Satari Taluka.**
- 19 **Valpoi** **Sazas:**1. Nagargao, 2. Sanvordem, 3. Cotorem, 4. Guleli and 5. Valpoi (MCL) **in Satari Taluka; and**

Usgao Saza **in Ponda Taluka.**
- 20 **Priol** **Sazas:**1. Candola, 2. Orgao, 3. Savoi-Verem, 4. Boma, 5. Priol and 6. Querim **in Ponda Taluka.**
- 21 **Ponda** 1. Candepar Saza and 2. Ponda (MCL) **in Ponda Taluka.**
- 22 **Siroda** **Sazas:**1. Betora, 2. Borim, 3. Siroda and 4. Ponchawadi **in Ponda Taluka.**
- 23 **Marcaim** **Sazas:**1. Cundaim, 2. Telaulim, 3. Marcaim, 4. Durbhat, 5. Bandora and 6. Queula **in Ponda Taluka.**
- 2-DISTRICT SOUTH GOA**
- 24 **Mormugao** **Mormugao (MCL):** Ward Nos.1 to 8 **of Mormugao Saza in Mormugao Taluka.**
- 25 **Vasco-Da-Gama** **Mormugao (MCL):** Ward Nos.9 to 17 **of Mormugao Saza in Mormugao Taluka.**
- 26 **Dabolim** **Saza Chicalim in Mormugao Taluka;**

Mormugao (MCL): Ward Nos.18 to 20 **of Mormugao Saza in Mormugao Taluka;**
- 27 **Cortalim** **Sazas:**1. Cortalim, 2. Cansaulim, 3. Velsao and 4. Sancoale **in Mormugao Taluka.**
- 28 **Nuven** **Sazas:**1. Verna, 2. Loutulim, 3. Nuven, 4. Majorda and 5. Betalbatim **in Salcete Taluka.**
- 29 **Curtorim** **Sazas:**1. Camurlim, 2. Raia and 3. Curtorim **in Salcete Taluka; and**
Ward No.3 of **Margao (MCL) in Margao Saza in Salcete Taluka;**
- 30 **Fatorda** **Margao (MCL):** Ward Nos.1, 2, 11, 12, 15 and 16 **of Margao Saza in Salcete Taluka.**
- 31 **Margao** **Margao (MCL):** Ward Nos.4 to 10, 13 and 14 **of Margao Saza in Salcete Taluka.**
- 32 **Benaulim** **Sazas:**1. Colva, 2. Seraulim, 3. Benaulim, 4. Varca, 5. Carmona and 6. Cavelossim **in Salcete Taluka.**

- 33 **Navelim** **Sazas:** 1. Navelim , 2. Talaulim and 3. Aquem (CT), **in Salcete Taluka;**
Davorlim (CT) of **Davorlim Saza in Salcete Taluka;**
- 34 **Cuncoim** **Sazas:**1. Macasana, 2. Guirdolim, 3. Chandor, 4. Paroda and
5. Cuncoim(MCL) **in Salcete Taluka; and**
1. Ambaulim and 2. Bali **villages of Ambaulim Saza in Quepem Taluka.**
- 35 **Velim** **Sazas:**1. Sarzora, 2. Assolna, 3. Velim, 4. Chinchinim, 5. Sao Jose de Areal
and 6. Dramapur **in Salcete Taluka; and**
Dicarpale village **in Davorlim Saza in Salcete Taluka;**
- 36 **Quepem** **Sazas:** 1. Fatorpa, 2. Barcem, 3. Quepem (MCL), 4. **Naquerim** and 5.
Avedem **of Quepem Taluka;**
Villages: 1. Cordem, 2. Adnem, 3. Bendordem and 4. Tiloi **in Ambaulim
Saza of Quepem Taluka; and**
Cola **Saza in Canacona Taluka.**
- 37 **Curcholem** **Sazas:**1. Assolda, 2. Amona, 3. Xeldem and 4. Curcholem-Cacora(MCL) **in
Quepem Taluka.**
- 38 **Sanvordem** **Sazas:**1. Darbandora, 2. Sancordem, 3. Molem, 4. Colem, 5. Codli,
6. Sanvordem, and 7. Calem **in Sanguem Taluka.**
- 39 **Sanguem** **Sazas:**1. Uguem, 2. Bati, 3. Rivona, 4. Curdi, 5. Nettorli and Sanguem (MCL)
in Sanguem Taluka; and
Sazas : 1.Molcarnem and 2. Cavorem **in Quepem Taluka.**
- 40 **Canacona** **Sazas:** 1. Gaodongrem, 2. Cotigao, 3. Agonda, 4. Canacona, 5. Poinguinim,
6. Loliem and 7. Canacona (MCL) **in Canacona Taluka.**

TABLE – B

PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Extent in terms of Assembly Constituencies
1 North Goa	1-Mandrem; 2-Pernem (SC); 3-Bicholim; 4-Tivim; 5-Mapusa; 6-Siolim; 7-Saligao; 8-Calangute; 9-Porvorim; 10-Aldona; 11-Panaji; 12-Taleigao; 13-St. Cruz; 14-St. Andre; 15-Cumbarjua; 16-Maem; 17-Sanquelim; 18-Poriem; 19-Valpoi and 20-Priol.
2 South Goa	21-Ponda; 22-Siroda; 23-Marcaim 24-Mormugao; 25-Vasco-Da-Gama; 26-Dabolim 27-Cortalim; 28-Nuven; 29-Curtorim; 30-Fatorda; 31-Margao; 32-Benaulim; 33-Navelim; 34-Cuncolim; 35-Velim; 36-Quepem; 37-Curchorem; 38-Sanvordem; 39-Sanguem and 40-Canacona.

NOTE :- Any reference in **Table A** to a district, taluka, saza, village, Census Town(CT), Municipal Council(MCL), Out Growth(OG), ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that district, taluka, saza, village, Census Town(CT), Municipal Council(MCL), Out Growth(OG),and ward or other territorial division as on the 23rd day of March, 2005

KULDIP SINGH, CHAIRMAN

B.B. TANDON, MEMBER

P. M. BORKAR, MEMBER

BY ORDER,

(SHANGARA RAM)
SECRETARY TO THE
DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

भारत के राजपत्र, भाग II,
खण्ड 3 (iii) के असाधारण
अंक में तारीख 31 मार्च ,2005
को प्रकाशनार्थ ।

गोवा सरकार के विशेष राजपत्र
में तारीख 31 मार्च 2005
को प्रकाशनार्थ ।

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

शंगारा राम
सचिव

फोन नं० 011-23052005
फैक्स नं० 011-230052006

सं० 282 / गोवा / 2004

दिनांक:- 31 मार्च, 2005

10 चैत्र, 1926 (शक)

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, गोवा राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :-

आदेश सं० 5

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और गोवा राज्य के राजपत्र के दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के आदेश सं० 2 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) गोवा राज्य में लोक सभा के लिए आंबटित की जाने वाली कुल स्थानों की संख्या दो (2) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या चालीस (40) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक (1) स्थान आरक्षित किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ राज्य के सह-सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 22 नवम्बर, 2004 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और गोवा राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 8 नवम्बर, 2004 को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं० 2 और सह-सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 9 नवम्बर, 2004 को स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे; और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया गया; और

उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 नवम्बर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो 22 नवम्बर, 2004 को या उससे पहले प्राप्त किये जा सकते हैं, विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग ने, 14 दिसम्बर, 2004 को मारगाओं में और 15 दिसम्बर, 2004 को पणजी में आम बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने **A**र लिखित आम बैठकों में दिये गये तथा/अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :-

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें गोवा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।
2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें गोवा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।
3. सारणी 'क' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों (अ0जा0) द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी-क

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
-------------	-----------------------------------	-----------------------------

1- जिला उत्तर गोवा

1. मांद्रे
पेडणे तालुक में पार्से (सी टी) और 1. केरी, 2. पालये, 3. हरमल, 4. तुये, 5. मांद्रे, 6. मोर्जी और 7. चोपडे साजा ।
2. पेडणे (अ0जा0)
पेडणे तालुक में पेडणे नगर पालिका और 1. पेडणे, 2. पोरस्कडे, 3. वारखंड, 4. तोर्से 5. कासरवर्णे, 6. हलर्ण, 7. इब्रामपूर, 8. घारगल, 9. कोरगाव और 10. ओझरी साजा ।
3. डिचोली
1. मेनकुरे, 2. साल, 3. लाटामबार्से और 4. अडवलपाल साजा और डिचोली तालुक में डिचोली नगर पालिका (डिचोली तालुक में शिरगाव साजा का मुलगाव ग्राम ।

4. थिवी बार्देज तालुक में कोलवाल (सी टी) और 1. रेवोडा, 2. पीर्ण, 3. अस्नोडा, 4. सिरसई, 5. थिवी और 6. कामुर्ली साज़ा ।
5. म्हापसा बार्देज तालुक में म्हापसा साजा के म्हापसा नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 3 और 5 से 13 ।
6. शिवोली बार्देज तालुक में शिवोली (सी टी) और 1. ओशेल, 2. वेरला, 3. मारना, 4. आसगाव और 5. अंजुना साज़ा ।
7. सालगाव बार्देज तालुक में गिरी (सी टी) और 1. नेरूल, 2. पिलर्न, 3. रेइसमागोस, 4. सालगाव और 5. सांगोल्डा साज़ा ।
8. कलंगुट बार्देज तालुक में 1. आरपोरा, 2. पर्रा, 3. कलंगुट और 4. कांदोली साज़ा ।
9. परवरीं बार्देज तालुक में पेन्हा—डी फ्रास्सा (सी टी) और साल्वाडोर दु मुंद और सुकूर साज़ा ।
10. हलदोणे बार्देज तालुक में म्हापसा नगर पालिका का वार्ड नं0 4 और हलदोणे (सी टी) तथा 1. पोमबुरपा, 2. मयडा, 3. उसकई और 4. बस्तोडा साज़ा ।
11. पणजी पणजी नगर का नगर निगम—तिसवाड़ी तालुक में पणजी साज़ा के वार्ड नं0 8 से 11 और 13 से 18; और तिसवाड़ी तालुक में इला साज़ा का पानेलिम (ओ जी) ।
12. तालगाव तिसवाड़ी तालुक में पणजी और तालगाव साज़ा में पणजी नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 7 और 12 ।
13. सांता कूज तिसवाड़ी तालुक के मोराम्बी—उ—पिकेनु (मेरशी) साज़ा के 1. मोराम्बी— उ—ग्रांद (मेरशी) (ओ जी), 2. रेनोवाडी (ओ जी) 3. मोराम्बी—उ—पिकेनु (मेरशी) (ओ जी) और 4. मुरदा (ओ जी) और

तिसवाड़ी तालुक के कालापूर साज़ा में कालापूर (सी टी) और कुजिरा (ओ जी) और चिम्बेल साज़ा ।

14. सांत आद्रे तिसवाडी तालुक में 1. कुडका, 2. मन्दुर, 3. बाटिम, 4. सिरीदाओ, 5. नेवरा-उ-ग्रांद, 6. मेरकुरिम और 7. गोवा वेल्हा साजा ।
15. कुंभारजुवा तिसवाडी तालुक में 1. जुआ 2. मलार 3. गोलतिम, 4. कुंभारजुवा और 5. कोरलिम साजा; तिसवाडी तालुक के येला साजा में 1. येला ग्राम, 2. बायगिणी ग्राम और 3. करमली साजा ।
16. मयें डिचोली तालुक में 1. मावलिंगे (उत्तर), 2. कारापूर, 3. नार्वे और 4. पिलगाव साजा; डिचोली तालुक के शिरगाव साजा में शिरगाव ग्राम और मयें साजा; तिसवाडी तालुक में चोडण साजा ।
17. सांखली डिचोली तालुक में 1. कुडणे, 2. आमोणे, 3. नावेली, 4. पाली, 5. सुर्ला, 6. वेलगे और 7. सांखली साजा ।
18. परयें सत्तरी तालुक में 1. केरी, 2. डोंगुरली, 3. पर्ये, 4. मोर्ले, 5. होंडा, 6. म्हावशी, 7. पिसुर्ले और 8. भिरोंडे साजा ।
19. वालपई सत्तरी तालुक में वालपई नगर पालिका और 1. नगरगाव, 2. सावर्डे, 3. खोतोडे और 4. गुलेली साजा; फोंडा तालुक में उसगाव साजा ।
20. प्रिओल फोंडा तालुक में 1. खांडोला, 2. वरगाव, 3. सावई-वेरे, 4. भोमा, 5. प्रिओल और 6. केरी साजा ।
21. फोंडा फोंडा तालुक में फोंडा नगर पालिका और खांडेपार साजा ।
22. शिरोडा फोंडा तालुक में 1. बेतोडा, 2. बोरी, 3. शिरोडा और 4. पंचवाडी साजा ।
23. मडकई फोंडा तालुक में 1. कुंडई, 2. तलावली, 3. मडकई 4. दुर्भाट, 5. बांदोडा और 6. कवले साजा ।

2—जिला दक्षिण गोवा

24. मारमागोवा मारमागोवा तालुक में मारमागोवा साज़ा के मुरगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 8 ।
25. वास्को—डी—गामा मारमागोवा तालुक मे मारमागोवा साज़ा के मुरगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 9 से 17 ।
26. दाभोली मारमागोवा तालुक में चिखली साज़ा; मारमागोवा तालुक में मारमागोवा साज़ा के मारमागोवा नगर पालिका के वार्ड नं0 18 से 20 ।
27. कुट्टाली मारमागोवा तालुक मे 1. कुट्टाली, 2. कासावली, 3. वेलसांव और 4. सांकवाल साज़ा ।
28. नुवे सालसेत तालुक में 1. वेर्णा, 2. लोटली, 3. नुवे, 4. माजोर्डा और 5. बेतालबाती साज़ा ।
29. कुडतरी सालसेत तालुक में 1. कामुर्लि, 2. राय और 3. कुडतरी साज़ा; और मडगाव साज़ा में मडगाव नगर पालिका का वार्ड नं0 3 ।
30. फातोर्डा सालसेत तालुक में मडगाव साज़ा के मडगाव नगरपालिका के वार्ड नं0 1, 2, 11, 12, 15 और 16 ।
31. मडगाव सालसेत तालुक में मडगाव साज़ा के मडगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 4 से 10, 13 और 14 ।
32. बाणावली सालसेत तालुक में 1. कोलवा, 2. सेरावली, 3. बाणावली, 4. वार्का, 5. कारमोणा और 6. कावेलोर्सी साज़ा ।
33. नावेली सालसेत तालुक में 1. नावेली 2. तलावली साज़ा और 3. आर्के (सी टी); सालसेत तालुक के दवर्ली साज़ा में दवर्ली (सी टी) ।
34. कुंकली सालसेत तालुक में कुंकली नगर पालिका और 1. माकासना, 2. गिरदोलिम, 3. चान्दोर और 4. पारोडा साज़ा; और केपे तालुक में आंबावली साज़ा के आंबावली और बाल्ली ग्राम ।

35. वेलिम सालसेत तालुक में 1. सारजोरा, 2. अस्सोल्ला, 3. वेलिम, 4. चिन्चिनिम, 5. सां-जुझे दी आरियाल साज़ा और 6. द्रामापूर साज़ा, सालसेत तालुक के दवरली साज़ा में दिकरपाल ग्राम ।
36. केपे केपे तालुक में केपे नगर पालिका और आंबावली साज़ा के 1. कोर्डे, 2. अडणे, 3. बेंदुर्डे 4. तिलोइ ग्राम, और 1. फातर्पा, 2. बार्से, 3. नाकेरी और 4. आवेडे साज़ा, और कानकोन तालुक में खोला साज़ा ।
37. कुडचडे केपे तालुक में कुडचडे-काकोरा नगरपालिका और 1. असोलडा, 2. आमोणा और 3. शेलडे साज़ा ।
38. सावर्डे सांगे तालुक में 1. धारबांदोडा, 2. सांकोर्डा, 3. मोलेम 4. कुलें, 5. कोडली, 6. सावर्डे और 7. काले साज़ा ।
39. सांगे सांगे तालुक में सांगे नगर पालिका और 1. उगे, 2. भाटी, 3. रिवण, 4. कुर्डी और 5. नेतुर्ली साज़ा; और केपे तालुक में मलकर्णे और कावरे साज़ा ।
40. कानकोन कानकोन तालुक में कानकोन नगर पालिका और 1. गावडोंगरी, 2. खोतिगाव, 3. अगोंदा 4. कानकोन, 5. पैगिणी और 6. लोलये साज़ा ।

सारणी-ख
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1-	उत्तर गोवा	1. मांद्रे (2. पेडणे 3. डिचोली (4. थिवी (5. म्हापसा (6. शिवोली (7. सालगाव (8. कलंगुट (9. परवरी (10. हलदोणे (11. पणजी (12. तालगाव (13. सांताकूज (14. सांत आद्रे (15. कुंभारजुवा (16. मयें (17. सांखली (18. परयें (19. वालपई और 20. प्रियोल
2-	दक्षिण गोवा	21. फोंडा, 22. शिरोडा 23. मडकई; 24. मारमागोवा; 25. वास्को-डी-गामा; 26. दाभोली; 27. कुठ्ठाली; 28. नुवे; 29. कुडतरी; 30. फातोर्डा; 31. मडगाव; 32. बाणावली; 33. नावेली; 34. कुंकली; 35. वेलिम 36. केपे; 37. कुडचडे; 38. सावर्डे; 39. सांगे; और 40. कानकोन ।

नोट:- इस तालिका के किसी जिला, तालुक, साज़ा, ग्राम, जनगणना शहर (सी टी), नगर परिषद् (एम.सी.एल.) बाहरी वृद्धि (ओ जी), वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सन्दर्भ का मतलब उस जिला, तालुक साज़ा, ग्राम, जनगणना शहर (सी टी), नगर परिषद्, (एम सी एल), बाहरी वृद्धि (ओ.जी.) तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के अंतर्गत मार्च मास के 23 वे दिन, 2005 को सम्मिलित क्षेत्र माना जाएगा ।

हस्ताक्षर
कुलदीप सिंह, अध्यक्ष
हस्ताक्षर
बी०बी० टण्डन, सदस्य
हस्ताक्षर
पी०एम० बोरकर, सदस्य
आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव
परिसीमन आयोग

दिनांक:- 23 मार्च, 2005
2 चैत्र, 1926 (शक)

(2001 की जनगणना के आधार पर गोवा राज्य में लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन)

आदेश सं0 5

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और गोवा राज्य के राजपत्र के दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने दिनांक 8 नवम्बर, 2004 के आदेश सं0 2 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) गोवा राज्य में लोक सभा के लिए आंबटित की जाने वाली कुल स्थानों की संख्या दो (2) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या चालीस (40) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक (1) स्थान आरक्षित किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ राज्य के सह-सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 22 नवम्बर, 2004 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और गोवा राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 8 नवम्बर, 2004 को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की (और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं0 2 और सह-सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 9 नवम्बर, 2004 को स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे; और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया गया; और

उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 नवम्बर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो 22 नवम्बर, 2004 को या उससे पहले प्राप्त किये जा सकते हैं, विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग ने, 14 दिसम्बर, 2004 को मारगाओं में और 15 दिसम्बर, 2004 को पणजी में आम बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने **आ** लिखित आम बैठकों में दिये गये तथा/अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड **(घ)** के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :-

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें गोवा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।
2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें गोवा राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों (अ0जा0) द्वारा चिह्नित किया गया है ।

सारणी-क

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
-------------	-----------------------------------	-----------------------------

1- जिला उत्तर गोवा

1. मांद्रे
पेडणे तालुक में पार्से (सी टी) और 1. केरी, 2. पालये, 3. हरमल, 4. तुये, 5. मांद्रे, 6. मोर्जी और 7. चोपडे साजा ।
2. पेडणे (अ0जा0)
पेडणे तालुक में पेडणे नगर पालिका और 1. पेडणे, 2. पोरस्कडे, 3. वारखंड, 4. तोर्से 5. कासरवर्णे, 6. हलर्ण, 7. इब्रामपूर, 8. घारगल, 9. कोरगाव और 10. ओझरी साजा ।
3. डिचोली
1. मेनकुरे, 2. साल, 3. लाटामबार्से और 4. अडवलपाल साजा और डिचोली तालुक में डिचोली नगर पालिका (डिचोली तालुक में शिरगाव साजा का मुलगाव ग्राम ।
4. थिवी
बार्देज तालुक में कोलवाल (सी टी) और 1. रेवोडा, 2 पीर्ण, 3. अस्नोडा, 4. सिरसई, 5. थिवी और 6. कामुर्ली साजा ।
5. म्हापसा
बार्देज तालुक में म्हापसा साजा के म्हापसा नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 3 और 5 से 13 ।
6. शिवोली
बार्देज तालुक में शिवोली (सी टी) और 1. ओशेल, 2. वेरला, 3. मारना, 4. आसगाव और 5. अंजुना साजा ।
7. सालगाव
बार्देज तालुक में गिरी (सी टी) और 1. नेरूल, 5. पिलर्न, 3. रेइसमागोस, 4. सालगाव और 5. सांगोल्डा साजा ।
8. कलंगुट
बार्देज तालुक में 1. आरपोरा, 2. पर्रा, 3. कलंगुट और 4. कांदोली साजा ।

9. परवरीं बार्देज तालुक में पेन्हा-डी फ़ास्सा (सी टी) और साल्वाडोर दु मुंद और सुकूर साज़ा ।
10. हलदोणे बार्देज तालुक में म्हापसा नगर पालिका का वार्ड नं0 4 और हलदोणे (सी टी) तथा 1. पोमबुरपा, 2. मयडा, 3. उसकई और 4. बस्तोडा साज़ा ।
11. पणजी पणजी नगर का नगर निगम-तिसवाड़ी तालुक में पणजी साज़ा के वार्ड नं0 8 से 11 और 13 से 18; और तिसवाड़ी तालुक में इला साज़ा का पानेलिम (ओ जी)
12. तालगाव तिसवाड़ी तालुक में पणजी और तालगाव साज़ा में पणजी नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 7 और 12
13. सांता कूज तिसवाड़ी तालुक के मोराम्बी-उ-पिकेनु (मेरशी) साज़ा के 1. मोराम्बी- उ-ग्रांद (मेरशी) (ओ जी), 2. रेनोवाडी (ओ जी) 3. मोराम्बी-उ-पिकेनु (मेरशी) (ओ जी) और 6. मुरदा (ओ जी) और
- तिसवाड़ी तालुक के कालापूर साज़ा में कालापूर (सी टी) और कुजिरा (ओ जी) और चिम्बेल साज़ा ।
14. सांत आद्रे तिसवाड़ी तालुक में 1. कुडका, 2. मन्डुर, 3. बाटिम, 4. सिरीदाओ, 5. नेवरा-उ-ग्रांद, 6. मेरकुरिम और 7. गोवा वेल्हा साज़ा ।
15. कुंभारजुवा तिसवाड़ी तालुक में 1. जुआ 2. मलार 3. गोलतिम, 4. कुंभारजुवा और 5. कोरलिम साज़ा; तिसवाड़ी तालुक के येला साज़ा में 1. येला ग्राम, 2. बायगिणी ग्राम और 3. करमली साज़ा ।
16. मयें डिचोली तालुक में 1. मावलिंगे (उत्तर), 2. कारापूर, 3. नार्वे और 4. पिलगाव साज़ा; डिचोली तालुक के शिरगाव साज़ा में शिरगाव ग्राम और मयें साज़ा; तिसवाड़ी तालुक में चोडण साज़ा ।
17. सांखली डिचोली तालुक में 1. कुडणे, 2. आमोणे, 3. नावेली, 4. पाली, 5. सुर्ला, 6. वेलगे और 7. सांखली साज़ा ।

18. परयें सत्तरी तालुक में 1. केरी, 2. डोंगुरली, 3. पर्ये, 4. मोर्ले, 5. होंडा, 6. म्हावशी, 7. पिसुर्ले और 8. भिरोंडे साज़ा ।
19. वालपई सत्तरी तालुक में वालपई नगर पालिका और 1. नगरगाव, 2. सावर्ड, 3. खोतोडे और 4. गुलेली साज़ा; फोंडा तालुक में उसगाव साज़ा ।
20. प्रिओल फोंडा तालुक में 1. खांडोला, 2. वरगाव, 3. सावई-वेरे, 4. भोमा, 5. प्रिओल और 6. केरी साज़ा ।
21. फोंडा फोंडा तालुक में फोंडा नगर पालिका और खांडेपार साज़ा ।
22. शिरोडा फोंडा तालुक में 1. बेतोडा, 2. बोरी, 3. शिरोडा और 4. पंचवाडी साज़ा ।
23. मडकई फोंडा तालुक में 1. कुंडई, 2. तलावली, 3. मडकई 4. दुर्भाट, 5. बांदोडा और 6. कवले साज़ा ।

2—जिला दक्षिण गोवा

24. मारमागोवा मारमागोवा तालुक में मारमागोवा साज़ा के मुरगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 1 से 8 ।
25. वास्को—डी—गामा मारमागोवा तालुक मे मारमागोवा साज़ा के मुरगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 9 से 17 ।
26. दाभोली मारमागोवा तालुक में चिखली साज़ा; मारमागोवा तालुक में मारमागोवा साज़ा के मारमागोवा नगर पालिका के वार्ड नं0 18 से 20 ।
27. कुट्टाली मारमागोवा तालुक मे 1. कुट्टाली, 2. कासावली, 3. वेलसांव और 4. सांकवाल साज़ा ।
28. नुवे सालसेत तालुक में 1. वेर्णा, 2. लोटली, 3. नुवे, 4. माजोर्ड और 5. बेतालबाती साज़ा ।

29. कुडतरी सालसेत तालुक में 1. कामुर्लि, 2. राय और 3. कुडतरी साज़ा; और मडगाव साज़ा में मडगाव नगर पालिका का वार्ड नं0 3 ।
30. फातोर्डा सालसेत तालुक में मडगाव साज़ा के मडगाव नगरपालिका के वार्ड नं0 1, 2, 11, 12, 15 और 16 ।
31. मडगाव सालसेत तालुक में मडगाव साज़ा के मडगाव नगर पालिका के वार्ड नं0 4 से 10, 13 और 14 ।
32. बाणावली सालसेत तालुक में 1. कोलवा, 2. सेरावली, 3. बाणावली, 4. वार्का, 5. कारमोणा और 6. कावेलोर्सी साज़ा ।
33. नावेली सालसेत तालुक में 1. नावेली 2. तलावली साज़ा और 3. आर्के (सी टी); सालसेत तालुक के दवर्ली साज़ा में दवर्ली (सी टी) ।
34. कुंकली सालसेत तालुक में कुंकली नगर पालिका और 1.माकासना, 2. गिरदोलिम, 3. चान्दोर और 4. पारोडा साज़ा; और केपे तालुक में आंबावली साज़ा के आंबावली और बाल्ली ग्राम ।
35. वेलिम सालसेत तालुक में 1. सारजोरा, 2. अस्सोल्ना, 3. वेलिम, 4. चिन्चिनिम, 5. सां-जुझे दी आरियाल साज़ा और 6. द्रामापूर साज़ा_सालसेत तालुक के दवरली साज़ा में दिकरपाल ग्राम ।
36. केपे केपे तालुक में केपे नगर पालिका और आंबावली साज़ा के 1. कोर्डे, 2. अडणे, 3. बेंदुर्डे 4. तिलोइ ग्राम, और 1. फातर्पा, 2. बार्से, 3. नाकेरी और 4. आवेडे साज़ा_और कानकोन तालुक में खोला साज़ा ।
37. कुडचडे केपे तालुक में कुडचडे-काकोरा नगर पालिका और 1. असोलडा, 2. आमोणा, और 3. शेलडे साज़ा ।
38. सावर्डे सांगे तालुक में 1. धारबांदोडा, 2. सांकोर्डा, 3. मोलेम 4. कुर्ले, 5. कोडली, 6. सावर्डे और 7. काले साज़ा ।

39. सांगे सांगे तालुक में सांगे नगर पालिका और 1. उगे, 2. भाटी, 3. रिवण, 4. कुर्डी और 5. नेतुर्ली साजा; और केपे तालुक में मलकर्णे और कावरे साजा ।
40. कानकोन कानकोन तालुक में कानकोन नगर पालिका और 1. गावडोंगरी, 2. खोतिगाव, 3. अगोंदा 4. कानकोन, 5. पैगिणी और 6. लोलये साजा ।

सारणी-ख
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और उनका विस्तार

क्रम संख्या	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1-	उत्तर गोवा	1. मांद्रे (2. पेडणे (3. जा0 (4. डिचोली (5. थिवीं (6. म्हापसा (7. शिवोली (8. सालगाव (9. कलंगुट (10. परवरीं (11. हलदोणे (12. पणजी (13. तालगाव (14. सांताकूज (15. सांत आद्रे (16. कुंभारजुवा (17. मयें (18. सांखली (19. परयें (20. वालपई और प्रियोल
2-	दक्षिण गोवा	21. फोंडा, 22. शिरोडा 23. मडकई; 24. मारमागोवा; 25. वास्को-डी-गामा; 26. दाभोली; 27. कुठ्ठाली; 28. नुवे; 29. कुडतरी; 30. फातोर्डा; 31.मडगाव; 32. बाणावली; 33. नावेली; 34. कुंकली; 35. वेलिम 36. केपे; 37. कुडचडे; 38. सावर्डे; 39. सांगे; और 40. कानकोन ।

नोट:- इस तालिका के किसी जिला, तालुक, साज़ा, ग्राम, जनगणना शहर (सी टी), नगर परिषद् (एम.सी.एल.) बाहरी वृद्धि (ओ जी), वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सन्दर्भ का मतलब उस जिला, तालुक साज़ा, ग्राम, जनगणना शहर (सी टी), नगर परिषद्,(एम सी एल), बाहरी वृद्धि (ओ.जी.) तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के अंतर्गत मार्च मास के 23 वे दिन, 2005 को सम्मिलित क्षेत्र माना जाएगा ।

कुलदीप सिंह, अध्यक्ष

बी0बी0 टण्डन, सदस्य

पी0एम0 बोरकर, सदस्य